प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2023**
   प्र.इ.रि.सं.........14/2023..........दिनांक..........17/1/2023..........
2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) पीसी एक्ट 1988
   (2) अधिनियम ....–............भा.द.स.........–................धारायें 409 एवं 120बी
   (3) अधिनियम ....–...............................धारायें...........................–....................
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें...–...
3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या ....327..........समय..........3:10 P.M...........
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– वर्ष 2010 से 2015 तक.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 08.05.2019
4. सूचना किस्म :– लिखित
5. घटनास्थल :– ग्राम पंचायत खांगटा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्रनिब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पूर्व, करीब 100 कि0मी0
   (ब) पता ग्राम पंचायत खांगटा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर बीट सख्या...–.........जरायमदेही सं...
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....–.............................जिला..............–.........................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री रामनारायण चौधरी
   (ब) पिता का नाम : स्व. श्री पुसाराम
   (स) जन्म तिथि : 50 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
   (य) पासपोर्ट सख्या..................–..जारी होने की तिथि ...–...........
   जारी होने की जगह ....–...
   (र) व्यवसाय :– गौरव सैनिक
   (ल) पता :– गांव खांगटा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर
7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   01. श्रीमती केली देवी पत्नि श्री खेराजराम मुण्डेल तत्कालीन संरपंच ग्राम पंचायत खांगटा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर
   02. श्री रामनिवास प्रजापत पुत्र श्री सुखा राम कुम्हार निवासी ग्राम पोस्ट बागोरिया वाया भोपालगढ जिला जोधपुर तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर
   03. श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री दामोदर लाल मीणा मु.पो. देवली, त.भुसावर जिला भरतपुर तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल खांगटा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर
   04. श्री संजय पुत्र रामनिवास मुण्डेल 05 श्री अशोक पुत्र रामनिवास मुण्डेल निवासीगण खांगटा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर
8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
   ....
9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदिं आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
   ....
10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि – ....
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मुत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)..
12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

महोदय,

परिवादी श्री राम निवास पुत्र श्री पुसाराम जी जाति जाट उम्र 50 निवासी गांव खांगटा पैशा गौरव सैनिक पुलिस थाना पीपाड शहर जिला जोधपुर ने एक लिखित परिवाद श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के नाम का ब्यूरो मुख्यालय पर पेश किया कि आरोपीगण श्रीमती केलीदेवी तत्कालिन सरपंच, श्री रामनिवास प्रजापत तत्कालिन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खांगटा व अन्य ने श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास एवं श्री संजय पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी ग्राम पंचायत खांगटा के साथ

आपसी मिलीभगत कर ग्राम पंचायत खांगटा के खसरा संख्या 2082 गैर मुमकिन आबादी भूमि में स्वयं का कब्जा नहीं होने के बावजुद भी खसरा संख्या 2082 में कब्जाशुदा भूखण्ड होने के मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर वास्तविक रूप से खसरा संख्या 1995/09 एवं खसरा संख्या 2023/04 जो की गैर मुमकिन गोचर भूमि में आवासीय पट्टे प्राप्त करना वगैरा परिवाद पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद संख्या 117/19 दिनांक 08.05.2019 क्रमांकन कर अपने कार्यालय पत्रांक 4511-13 दिनांक 09.05.19 के द्वारा जांच हेतु भिजवाने पर जांच मन् भोपाल सिंह लखावत अतिक्ति पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण द्वारा शुरू की गई।

दौराने सत्यापन परिवादी श्री रामनिवास, श्री रामपाल भाटी पंचायत प्रसार अधिकारी, श्री ओम प्रकाश जाखड़, पंचायत प्रसार अधिकारी, श्री प्यारे लाल के कथन तथा श्री रामनिवास प्रजापत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव एवं श्री कैलाशचन्द मीणा भू-अभिलेख निरीक्षक के स्पष्टीकरण लिये जाकर परिवाद मे अंकित तथ्यो पर जांच की व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खांगटा पंचायत समिति पीपाड शहर जिला जोधपुर से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तो निम्न स्थिति पाई गई :-

परिवाद सत्यापन के दौरान श्री भंवरलाल पुत्र श्री बलाराम जाति जाट निवासी खांगटा ने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि श्रीमती केली देवी तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा अपने पौत्र श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा को गोचर भूमि में जारी किये गये पट्टे में मेरे नाम से बयान फार्म पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर किये गये है, जबकि मेरे द्वारा श्री अशोक पुत्र राम निवास मुण्डेल को पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत खांगटा में कभी कोई बयान नही किया गया हैं और न ही कोई हस्ताक्षर मेरे द्वारा किये गये हैं। इसी प्रकार श्री कैलाशचन्द मीणा तत्कालिन पटवारी पटवार मण्डल खांगटा हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत साथिन ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा एव श्री संजय पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा के खसरा नम्बर 2082 में पुराना कब्जा शुदा भूखण्ड गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र में स्थित होने का जारी किये गये भूमि किस्म प्रमाण पत्र मेरे द्वारा जारी नहीं किये गये हैं और न ही इन प्रमाण पत्रों पर मेरी हस्तलिपि है, उक्त प्रमाण पत्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मेरे फर्जी हस्ताक्षर कर कुटरचित तैयार किये गये हैं।

प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा एवं श्री संजय पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल निवासीगण खांगटा द्वारा दिनांक 05.12.11 को सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा के नाम से आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये। ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा उक्त प्राप्त दोनो आवेदन पत्रो को ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.12.11 में रखा गया। जिसकी अध्यक्षता श्रीमती केली देवी सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा की गई थी। उक्त बैठक के दौरान श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर मिसल संख्या 11/2011-12 एवं श्री संजय पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा के आवेदन पत्र पर मिसल संख्या 12/2011-12 कायम की गई। अशोक पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल एवं संजय पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रो पर ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम 146(3) के तहत भूमि का मौका निरीक्षण करवाने हेतु श्रीमती केलीदेवी सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत खांगटा के वार्डपंच श्री मंगलाराम एवं उप सरपंच श्रीमती छोटी को भेजा जाना मात्र कागजो में खानापूर्ति कर दर्शाया गया। श्री मंगलाराम वार्ड पंच एवं श्रीमती छोटी उप सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास एवं श्री संजय पुत्र श्री रामनिवास द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रो में दर्शाये गये स्थल पर निरीक्षण किया जाकर प्रार्थीयो का पिढियों से कब्जा शुदा प्लॉट होने की झूठी रिपोर्ट कर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिनांक 20.01.2012 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत खांगटा में पेश करना अंकित किया गया हैं। तत्पश्चात ग्राम पंचायत खांगटा की आगामी बैठक दिनांक 05.02.12 में उक्त दोनो आवेदन पत्रो पर पट्टा जारी करने की कार्यवाही के क्रम में 2-2 गवाहो के बयान लिये जाने का निर्णय ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा लिये जाने की झूठी रिपोर्ट अंकित की गई हैं। ग्राम पंचायत खांगटा की बैठक दिनांक 05.02.12 को श्री भंवरलाल पुत्र श्री बलाराम जाति जाट (रियाड) निवासी खांगटा एवं श्री रामलाल पुत्र श्री चिमनाराम द्वारा ग्राम पंचायत खांगटा में उपस्थित होकर श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास जाति जांट निवासी खांगटा को जानना, आवेदित स्थल पर पिढियों से कब्जा होना अन्य किसी व्यक्ति को कोई

ऐतराज नहीं होना तथा आस--पड़ौस की स्थिति के बारे में बयान करने के मिथ्या तथ्य अंकित किये तथा श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा के आवेदन पत्र के कम में दिनांक 05.02.12 को श्री धर्माराम पुत्र श्री चेतनराम जाति जाट निवासी खांगटा एवं श्री रामलाल पुत्र श्री चिमनाराम द्वारा ग्राम पंचायत खांगटा में उपस्थित होकर श्री संजय मुण्डेल पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा को जानना, उसके द्वारा आवेदित स्थल पर पिढियों से कब्जा होना अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा एवं कोई ऐतराज नहीं होना तथा आस--पड़ौस की स्थिति के बारे में बयान किये गये थे। ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल एवं श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में आपत्तिया आमन्त्रित करने का नोटिस प्रारूप 22 के तहत श्री राम निवास तत्कालिन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में तैयार कर नोटिश कमांक 11/2011–12 दिनांक 05.02.12 ग्राम पंचायत खांगटा के नोटिस बोर्ड लगाये जाने के मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए मात्र कागजो में खानापूर्ति हेतु नोटिश तैयार किया गया। इसी प्रकार श्री संजय पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल को पट्टा जारी करने हेतु जारी किये गये नोटिस कमांक 12/2011–12 में दिनांक के कालम में दिनांक अंकित नहीं की गई हैं। ग्राम पंचायत खांगटा की बैठक दिनांक 05.03.12 तक श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल एवं श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा को पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खांगटा में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने का अंकन करते हुए श्री कैलाशचन्द मीणा पटवारी, पटवार मण्डल खांगटा के झूठे हस्ताक्षरो से श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल एवं श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा के कब्जा स्थल खसरा संख्या 2082 गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि की किस्म के सम्बन्ध में मिथ्या प्रमाण पत्र तैयार कर शामील पत्रावली किया जाना पाया गया। दिनांक 05.03.12 को प्रस्ताव संख्या 01 सरपंच श्रीमती केली देवी एंव श्री राम निवास तत्कालिन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा लिया जाकर श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल एवं श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा से पट्टा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि 260 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल एवं श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा द्वारा दिनांक 15.03.12 को पंचायत कोष में जमा करवाये जाने पर श्री संजय कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा को बुक नम्बर 14 पट्टा संख्या 53 दिनांक 15.03.2012 एवं श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल को बुक नम्बर 14 पट्टा संख्या 54 दिनांक 15.03.2012 को पट्टा जारी किया गया।

परिवादी श्री राम नारायण चौधरी द्वारा ग्राम पंचायत खांगटा की पूर्व सरपंच श्रीमति केली देवी द्वारा गोचर भूमी को आबादी भुमि दर्शाकर अपने पौत्र संजय पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा को पट्टा जारी करने के शिकायत के सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपाड़ शहर द्वारा 03 सदस्यो की टीम गठित कर जांच करवाई गई जिसमें पाया गया कि संजय पुत्र राम निवास मुण्डेल को आबादी भूमि के खसरा नं0 2082 में जारी पट्टा स्थल का भौतिक निरीक्षण करने पर श्री संजय पुत्र राम निवास को जारी पट्टा स्थल पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होने बावजूद ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा मात्र 200 रू0 की फीस जमा करके पट्टा जारी किया गया है, उस भूखण्ड में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं था। भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने के बावजूद पट्टा जारी करना राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) का उल्लंघन सरपंच एवं ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा किया गया है। इसी प्रकार श्री अशोक पुत्र श्री रामनिवास मुण्डेल के नाम ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा जारी पट्टा सं0 54 मिसल सं0 11/2011–12 दि0 5.12.2011 जारी दिनांक 15.3.2012 की जॉच करने पर पाया गया कि यह पट्टा आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अनुसार जारी किया गया हैं जबकि उक्त पट्टा स्थल का मौका निरीक्षण करने पर 35 गुणा 18 फिट में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकाने निर्मित होना पाई गई। इस प्रकार यह पट्टा जारी करने में भी ग्राम सेवक व संरपच ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) का उल्लघन किया गया हैं। यह पट्टा बाजार दर की दुगुनी राशि की दर से नहीं देकर पुश्तैनी आवासीय प्रावधान अनुसार जारी कर पंचायत कोष को अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 15 के बिन्दु सं0 (4) में यह प्रावधान किया गया हैं कि पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का चर्चा के अधीन के किसी भी

मामले में उसका कोई आर्थिक हित हो तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा और न ही भाग लेगा। परन्तु संजय, अशोक पुत्रान् श्री रामनिवास मुण्डेल को जारी पट्टो के लिये गये प्रस्ताव में पंचायत की बैठक की अध्यक्षता श्रीमति कैली देवी सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा की गई है, श्री संजय, अशोक पुत्रान् श्री राम निवास मुण्डेल श्रीमति कैली देवी सरंपच ग्राम पंचायत खांगटा के सगे पौत्र होते हुए भी बैठक की अध्यक्षता कर अपने पौत्र श्री संजय पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल, अशोक पुत्र रामनिवास मुण्डेल को पट्टा जारी कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 15 के बिन्दु सं0 (4) का खुल्ला उल्लंघन किया गया है।

परिवाद के सत्यापन से पाया गया कि श्रीमति कैली देवी तत्का0 सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा, श्री राम निवास प्रजापत तत्का0 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत खांगटा तत्का0 तहसील भोपालगढ हाल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर एवं श्री संजय पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल, श्री अशोक पुत्र रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा तह0 पीपाड़ शहर (लाभार्थी) एंव अन्य द्वारा आपसी मिलभगत कर पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते मिथ्या दस्तावेजत तैयार कर, खाली भूखण्ड का आवासीय पट्टा जारी करना एवं व्यावायिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड का भी वाणिज्यिक दर से पट्टा जारी करने की बजाय केवल मात्र 200 रू0 वसूल कर आवासीय पट्टा जारी कर अपने–अपने का दूरूपयोग कर राजकोष को अनुचित आर्थिक हानि कारित किया जाना पाया गया हैं। श्री संजय पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल निवासी खांगटा को 1100 वर्ग फूट तथा अशोक पुत्र रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा तह0 पीपाड़ शहर को 875 वर्ग फूट का आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा खसरा सं0 2082 गैर मूमकिन आबादी भूमि में जारी नहीं किया जाना अंकित किया हैं परन्तु उक्त दोनों पट्टे वास्तविक रूप से खसरा सं0 1995/9 एवं खसरा सं0 2023/4 गैर मूमकिन गोचर भूमि पर जारी किया गया है। नियमानुसार गोचर भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। श्री अशोक पुत्र रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा तह0 पीपाड़ शहर को ग्राम पंचायत खांगटा द्वारा जारी आवासीय पट्टे पर आवासीय की बजाय उक्त भूखण्ड पर 35 गुणा 18 फिट में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकाने निर्मित होना पाई गई।

अतः परिवाद के सत्यापन से मन् अति. पुलिस अधीक्षक पुलिस की विनम्र राय में आरोपिया 1 श्रीमति कैली देवी तत्का0 सरपंच ग्राम पंचायत खांगटा, 02 श्री राम निवास प्रजापत तत्का0 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत खांगटा हाल ग्राम विकास अधिकारी नाड़सर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर एवं 03 श्री कैलाश चन्द मीणा तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल खांगटा, 04 श्री संजय पुत्र श्री राम निवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा, 05 श्री अशोक पुत्र रामनिवास मुण्डेल जाति जाट निवासी खांगटा तह0 पीपाड़ शहर जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं 409 एवं 120बी भादस का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(ओमप्रकाश चौधरी)
अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (सी) (डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409 व 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्रीमती केली देवी पत्नी श्री खेराजराम मुण्डेल, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर, 2. श्री रामनिवास प्रजापत, तत्कालीन ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत खांगटा, पंचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर 3. श्री कैलाश चन्द मीणा, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल खांगटा, खांगटा, पंचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर, 4. श्री संजय पुत्र रामनिवास मुण्डेल, एवं 5. श्री अशोक पुत्र रामनिवास मुण्डेल, निवासीगण खांगटा, पंचायत समिति पीपाड शहर, जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 14/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

17.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 104-10 दिनांक 17.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
7. अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परि. 117/19)

17.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर